पत्र सूचना शाखा
(मुख्य सचिव मीडिया कैम्प)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग फ्रेंडली वातावरण का एहसास कराने के लिये प्रदेश में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाये : अध्यक्ष, यू0पी0एस0आई0डी0सी0

सरस्वती हाई–टेक सिटी परियोजना में आवासीय भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो : आलोक रंजन

शीघ्र ही ट्रांसगंगा सिटी परियोजना एवं सरस्वती हाई–टेक सिटी परियोजना में विकसित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं का किया जायेगा स्थलीय निरीक्षण : अध्यक्ष, यू0पी0एस0आई0डी0सी0

उद्यमी द्वारा भवन निर्माण हेतु निगम में प्रस्तुत किये गये मानचित्र की स्वीकृति 06 माह के अन्दर प्रदान की जाये अन्यथा 06 माह के उपरान्त माना जायेगा मानचित्र Deemed स्वीकृत : आलोक रंजन

अतिआवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के अभाव वाले औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों से समय विस्तारण शुल्क तब तक नहीं, जब तक अवस्थापना सुविधाओं का समयानुसार न हो विकास सुनिश्चित : अध्यक्ष, यू0पी0एस0आई0डी0सी0

आवंटित भूखण्ड में गड्ढे या तालाब की स्थिति हो अथवा उद्यमियों द्वारा इकाई लगाना संभव न हो, तो ऐसे भूखण्डों को तत्काल निरस्त कर आवंटी को नियमानुसार उपलब्ध करायें अन्य भूखण्ड : आलोक रंजन

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के निदेशक मण्डल की 291वीं सम्पन्न

लखनऊ : 13 जुलाई, 2016

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग फ्रेंडली वातावरण का एहसास कराने के लिये प्रदेश में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि आवंटित भूमि पर उद्यमी द्वारा यथाशीघ्र उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षक कार्य योजना बनायी जाये। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रबन्धकों को ज्ञात होता है कि उनके क्षेत्र में किस तरह के उद्योग लगाये जा सकते हैं, इसलिये वे अपने–अपने क्षेत्रों में सफल होने वाले उद्योगों को लगाने हेतु उद्यमियों को आकर्षित करें। उन्होंने कहा कि नैनी, इलाहाबाद स्थित सरस्वती हाई–टेक सिटी परियोजना में आवासीय भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करायी जाये। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शीघ्र ही ट्रांसगंगा सिटी परियोजना एवं सरस्वती हाई–टेक सिटी परियोजना में विकसित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमी द्वारा भवन निर्माण हेतु निगम में प्रस्तुत किये गये मानचित्र की स्वीकृति 06 माह के अन्दर प्रदान की जाये अन्यथा 06 माह के उपरान्त मानचित्र Deemed स्वीकृत माना जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन उद्योग क्षेत्रों में अतिआवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है या औद्योगिक क्षेत्र को Slow Moving Area घोषित किया गया हो, वहां पर आवंटियों से समय विस्तारण शुल्क तब तक नहीं लिया जायेगा, जब तक अवस्थापना सुविधाओं का विकास समयानुसार न कर दिया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में निदेशक मण्डल की 291वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा यदि आवंटित भूखण्ड में गड्ढे हो, तालाब की स्थिति हो या फिर ऐसी स्थिति हो, जहां पर इकाई लगाना उद्यमियों द्वारा सम्भव न हो, तो ऐसे भूखण्डों को निरस्त कर आवंटी को अन्य भूखण्ड आवंटित किया जाये। उन्होंने कहा कि अविकसित/बल्क भूमि पर इकाई की स्थापना हेतु दी जाने वाली समयावधि उद्यमियों की सुविधा के दृष्टिगत 5 वर्ष किया जाये। उद्यमियों द्वारा इकाई की 05 वर्ष में स्थापना न करने

की दशा में निगम के प्रचलित नियमों के अधीन समय विस्तारण शुल्क लेते हुये अतिरिक्त समय विस्तारण प्रदान किया जाये।

उन्होंने कहा कि आवंटित भूखण्ड के पंजीकरण हेतु आवंटी को कम से कम दो बार पंजीकृत पत्र भेज कर सूचित किया जाये तथा आवंटी लीज़ डीड निस्पादित करने हेतु निर्धारित स्टाम्प शुल्क एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र समय से जमा कराकर निगम के उद्योग बन्धु अनुभाग के नोडल अधिकारी को प्रबन्ध निदेशक महोदय के माध्यम से तत्काल सूचित करें, जिससे निगम द्वारा समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा आवंटित अविकसित Bulk Land का विकास आवंटी द्वारा स्वयं कराया गया है और यह भूमि निगम के औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तो निगम द्वारा आवंटी से उस भूमि पर केवल आधा (1/2) Maintenance Charge लिया जाये एवं उस पर ब्याज की देयता बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि से लागू मानी जाये। उन्होंने कहा कि ब्याज न जमा करने का कोई छूट नहीं दी जायेगी।

श्री रंजन ने कहा कि इकाई के नाम परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक को स्वीकृति हेतु 15 दिन के अन्दर ही प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में समय पर Maintenance Charge आता रहेगा, उनमें रखरखाव का कार्य निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। उन्होंने कहा कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में सीएफसी बिल्डिंग एवं पार्क अनुपयोगी पड़े हुये है, उनके रखरखाव तथा इनको उपयोगी बनाने हेतु निगम द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों के उद्यमी एसोसियेशन को हस्तान्तरित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने कहा कि आवंटी द्वारा भूखण्ड को Sub-Let करने से पूर्व उसे निगम की प्रक्रिया को पूरा करना होगा एवं उसके नवीनीकरण हेतु भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्धारित समय में सूचित करें।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा कि आवंटी यदि भूखण्ड आवंटन के दो वर्ष के बाद भी न तो इकाई स्थापित करता है और न ही उस पर समय विस्तारण शुल्क की कार्यवाही से निगम को सन्तुष्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि भूखण्डों से सम्बन्धित प्रकरण, जो मा0 न्यायालय में लम्बित् है, उन पर मा0 न्यायालय का कोई दिशा–निर्देश प्राप्त न होने तक कोई विचार न किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि आवंटी भूखण्ड पर स्थापित इकाई के विस्तारीकरण हेतु भूखण्ड की आवश्यकता के लिये आवेदन करता है तथा निगम के पास उक्त आवंटी की इकाई के ठीक बगल में कोई भूखण्ड बिना आवंटन के रिक्त है तो उक्त भूखण्ड के आवंटन हेतु इकाई को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि किसी नई विशेष परियोजना हेतु निगम को अधिकार होगा कि उस परियोजना का अध्ययन करके परियोजना के लिये आवश्यक भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करे।

बैठक में प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 श्री मनोज सिंह ने बताया कि निगम द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 16350 से अधिक वृहद, मध्यम एवं लद्यु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है, जिनसे उत्तर प्रदेश में लगभग 11.25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुआ है।

निगम द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रमुख कार्यो को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2016–2017 की कार्ययोजना के लिये प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् हैः–

प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2016–17 एक दृष्टि में

मद	प्रस्तावित लक्ष्य 2016–17	
	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)
भूमि अधिग्रहण	250	25000
भूमि विकास	1668	90000

भूमि आवंटन	845.87	118892

श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2016–17 हेतु भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य 250 एकड़ प्रस्तावित है तथा भूमि अधिग्रहण पर व्यय लगभग रू0 25000 लाख प्रस्तावित है। वर्ष 2015–16 के भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य 250 एकड़ के सापेक्ष 1459.29 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा वर्ष 2015–16 में रू0 18126 लाख का व्यय भूमि अधिग्रहण पर किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवस्थापना विकास हेतु 1668 एकड़ भूमि के विकास का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत ट्रांस गगा, सरस्वती हाई–टेक सिटी, नैनी औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन विस्तार, कन्नौज औद्योगिक क्षेत्र, ट्रोनिका सिटी (ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी) विस्तार, प्रदर्शनी केन्द्र अमौसी आदि परियोजनाओं के विकास कार्य उच्च प्राथमिकता पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि विविध पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रू0 1500 लाख प्रस्तावित किया गया है, जिसमें रू0 12 करोड़ मेट्रो रेल परियोजना गाजियाबाद एवं लखनऊ तथा रू0 200 लाख कम्प्यूटरीकरण पद्धति का उच्चीकरण भी प्रावधानित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में लागू सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 के चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को रिक्त भूमि उपलब्ध कराने तथा निगम की विद्युत उत्पाद परियोजना में निवेश आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव किया गया है। सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत प्रदेश में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से निगम द्वारा पूर्व में विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये निजी क्षेत्र के उद्यमियों को यू0पी0 नेडा द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु प्रचलित टैरिफ आधारित बीडिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदेश में सौर ऊर्जा सयंत्रों की स्थापना में प्रचुर निवेश किया जाना प्रस्तावित है। यू0पी0 नेडा द्वारा आंमत्रित बिडों में सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में भूमि की आवश्यकता लगभग 1.5 हेक्टैयर/मेगावाट आंगणित की गई है। अध्यक्ष यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने कहा कि इस प्रायोजन हेतु बुन्देलखण्ड एवं पूर्वी क्षेत्रों में निगम के धीमी गति के क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त भूमि को चिन्हित करते हुये 'एसपीवी' द्वारा सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन सयंत्रों की सम्भाव्यता का परीक्षण कर औद्योगिक निवेश हेतु उद्यमियों से समुचित प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।

————————

PN-ACM-UPSIDC-13 July, 2016.doc
सम्पर्क सूत्र : श्री दिवाकर खरे, निदेशक मीडिया मुख्य सचिव, 9453005368
श्री दिनेश कुमार सिंह, सूचना अधिकारी, 9452027977